जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय

स्वास्थ्य विभाग, बिहार सरकार

Sadar Hospital Campus, Begusarai, Bihar

☎- 06243- 221285 Email – dhsbegusarai1@gmail.com

Letter No. - DHSBGS/22-23/ 1188 Date--16/09/2022

DQAC की कार्यवाही

स्थानः– जिला पदाधिकारी कार्यालय प्रकोष्ठ, बेगूसराय।
तिथिः– 24.08.2022
समयः– 03:00 PM

उपस्थितिः– पंजी में संधारित

upload
8
21/9/22

दिनांक 24.08.2022 को जिला पदाधिकारी सह–अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय की अध्यक्षता में जिला गुणवत्ता यकीन समिति की बैठक सम्पन्न हुई।

जिला पदाधिकारी के निदेशोपरांत बैठक की कार्यवाही शुरू की गयी डा0 रजत आर्यन **District Consultant Quality Assurance** के द्वारा **PPT** के माध्यम से जिला गुणवत्ता यकीन समिति से संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें मुख्य रूप से **Empanelment** एवं **De-empanelment of Doctors for Family Planning, Maternal Death Reporting Status & Findings, Kayakalp, LaQshya** एवं **NQAS Certification** से संबंधित प्रतिवेदनों की समीक्षा की गयी एवं जिला पदाधिकारी द्वारा कुछ आवश्यक निर्देश भी दिये गये।

1. सर्वप्रथम डा0 आशा कुमारी, सृजन क्लिनिक, महिला कॉलेज, डाक बंगला रोड, बेगूसराय को PPP के तहत् परिवार नियोजन ऑपरेशन हेतु Accreditation किये जाने पर समिति द्वारा सहमति व्यक्त की गई एवं अलग से संचिका उपस्थापित करने का निर्देश दिया गया।

2. परिवार नियोजन ऑपरेशन हेतु निम्नांकित चिकित्सकों को Empanelled एवं De-empanelled किये जाने का निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

Empanelled:- (i) Dr. Minu Maya (ii) Dr. Raju Kumar (iii) Dr. Prachi (iv) Dr. Snigdha Kumari (v) Dr. Sailendra Kumar.

De-empanelled:- (i) Dr. M.P Choudhary (ii) Dr. Naresh Kumar Singh (iii) Dr. Vinay Kumar Jha (iv) Dr. Mirdula Sharma (v) Dr. Prabhat Kumar Singh (vi) Dr. Shashi Prabha.

3. Family Planning Indemnity Scheme (FPLS) के तहत् प्राप्त आवेदन पर निम्नांकित निर्णय समिति द्वारा लिया गया।

(i) स्व0 मनीषा देवी, पति– श्री राज बाबू पासवान, गढ़पुरा के परिवार नियोजन के कारण मृत्यु से संबंधित दावा में राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा वांछित दस्तावेज Death Audit की माँग की गई है। अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,

बेगूसराय के पत्रांक– 122 दिनांक 26.05.2018 के द्वारा प्राप्त Death Audit Report के अवलोकन उपरांत समिति द्वारा मृत्यु का कारण परिवार नियोजन नहीं माना गया एवं दावे को अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(ii) राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना के पत्रांक– 8916 दिनांक 27.03.2022 के माध्यम से श्रीमती मोनी देवी, पति– श्री वकील राय, साहेबपुर कमाल के द्वारा बंध्याकरण ऑपरेशन असफल होने का दावा प्राप्त हुआ। इस संबंध में जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय के पत्रांक– 425 दिनांक 30.03.2022 के माध्यम से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सा0 कमाल से उक्त आवेदन के आलोक में प्रतिवेदन की माँग की गई। जिसके आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सा0 कमाल अपने पत्रांक– 70 दिनांक 13.07.2022 के द्वारा सूचित किया गया कि इससे संबंधित कोई भी आवेदन (दावा) कार्यालय को प्राप्त नहीं है।

जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में फिर से लाभार्थी से निर्धारित अवधि में आवेदन किये जाने का साक्ष्य लिये जाने का निर्देश दिया गया, जिससे ये जाना जा सके की लाभार्थी ने Family Planning Indemnity Scheme के अन्तर्गत आवेदन किया है या नहीं।

(iii) श्रीमती प्रियंका देवी, पति– श्री विक्रम महतों, भगवानपुर के द्वारा असफल बंध्याकरण ऑपरेशन का दावा किया गया। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, भगवानपुर के पत्रांक– 105 दिनांक 25.03.2022 के द्वारा कार्यालय को सूचित किया गया।

FPIS Manual 2016 के पृष्ठ संख्या– 13 एवं 14 के बिन्दू 8 में दिये निर्देश कि दावा करने की अवधि 90 दिन के अन्दर आवेदक द्वारा दावा किया गया। साथ ही FPIS- 2016 के Section IC में निहित प्रावधान के अनुसार प्राप्त कागजातों का मिलान समिति द्वारा किया गया, जिसमें निम्नांकित स्थिति पाई गई:–

Date of FP Operation – 16/11/2019
Date of FPIS Claim Application – 24/03/2022
Date of Diagnosis 10 & 15 March 2022
Urine Test (10.03.2022) – Pregnancy Test (Positive)
Ultrasound Report (15.03.2022) – 12 Week, 4 days live pregnancy & EDD (23.09.2022)

उक्त के आलोक में समिति द्वारा दावा को अनुशंसित किया गया।

(iv) श्रीमती बेबी नोनिया, पति– श्री शत्रुघ्न नोनिया, साहेबपुर कमाल के द्वारा बंध्याकरण ऑपरेशन असफल होने की सूचना माननीय मुख्यमंत्री के जनता दरबार से प्राप्त आवेदन पत्रांक– 847 दिनांक 09.06.2022 के द्वारा कार्यालय को प्राप्त हुआ। इसके आलोक में प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सा0 कमाल के पत्रांक– 181 दिनांक 16.07.2022 के माध्यम से सूचित किया गया कि लाभार्थी के द्वारा पुरे गर्भावस्था के दौरान एक बार भी कार्यालय को किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गयी।

आवेदिका का परिवार नियोजन ऑपरेशन दिनांक 15.12.2020 को हुआ था, तथा प्रसव दिनांक 13.08.2021 को हुआ। इनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जनता दरबार में 02.05.2022 को एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यालय में 22.06.2022 को आवेदन दिया गया।

समिति द्वारा FPIS में निहित प्रावधान के अनुसार दावा 90 दिन के अन्दर नहीं होने के कारण दावा को अस्वीकृत किया गया।

4. माह जून 2022 एवं जुलाई 2022 में स्वास्थ्य संस्थानों में संपादित Quality Improvement Meeting Status को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं जिन स्वास्थ्य संस्थानों में बैठक आयोजित नहीं की गई संबंधित संस्थानों को प्रत्येक माह बैठक आयोजित किये जाने का निर्देश दिया गया।

5. NQAS कार्यक्रम अन्तर्गत CHC बछवाड़ा को माह अक्टूबर 2022 तक Certification हेतु Gap पुरा करते हुए आवेदन किये जाने का निर्देश दिया गया।

6. LaQshya कार्यक्रम अन्तर्गत SDH तेघड़ा को माह अक्टूबर 2022 तक Certification हेतु Gap पुरा करते हुए आवेदन किये जाने का निर्देश दिया गया।

7. कायाकल्प कार्यक्रम अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्थानों को Kayakalp Traversing Gap F.Y 2022-23 में उपलब्ध राशी को व्यय करते हुए माह सितम्बर 2022 तक सभी स्वास्थ्य संस्थानों को Peer Assessment एवं External Assessment हेतु तैयार करने का निर्देश दिया गया।

8. जून 2022 से जुलाई 2022 तक सभी स्वास्थ्य केन्द्र अन्तर्गत हुए Maternal Death Reporting Status को प्रदर्शित किया गया। जून एवं जुलाई 2022 में कुल 8 मातृ मृत्यु का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सा0 कमाल–2, मंसूरचक–2, नावकोठी–2, चे0 बरियारपुर–1 एवं छौड़ाही– 1 मातृ मृत्यु प्रतिवेदन की गयी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी / चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक के द्वारा प्रत्येक मातृ मृत्यु का Verbal Autopsy किया गया एवं प्रतिवेदन समिति के समक्ष प्रस्तुत की गई। समिति द्वारा Verbal Autopsy की समीक्षा की गई जिसमें निम्नांकित तथ्य ज्ञात हुआ:–

Block & Date of Death	Time of Death	Cause of Death	Suggestion
S. Kamal Death – 1 Date of Death – 12.06.2022	Died postpartum in transit.	PPH	Birth preparedness
S. Kamal Death – 2 Date of Death – 22.06.2022	Died postpartum in transit.	Severe Anemic and PPH	Birth preparedness
Nawkothi Death – 1 Date of Death – 18.07.2022	Died Antipartum at PHC Nawkothi.	APH & Septicemia	Regular HB % Check up
Nawkothi Death – 2 Date of Death – 24.07.2022	Died Antipartum at Private Hospital.	Hemorrhage	102 Number Ambulance must given on time
Mansurchak Death – 1 Date of Death – 18.07.2022	Died postpartum at Private Hospital.	Sepsis	Maintained hygiene & Proper Sterilization
Mansurchak Death – 2 Date of Death – 27.07.2022	Died postpartum at Private Hospital.	PPH	Birth preparedness
Chaurahi Death – 1 Date of Death – 27.07.2022	Died Antipartum at Private Hospital.	Eclampsia	Shorting of High Risk Pregnancy
Cheriya Bariyarpur Death-1 Date of Death- 24.07.2022	Died postpartum at Private Hospital.	Severe PPH	Counseling of Patient Attendant and Proper Referral

उक्त के आलोक में समिति द्वारा संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों को निम्नांकित सुधारात्मक कदम लिये जाने का निर्देश दिया गया:–

(i) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सा0 कमाल को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच एवं प्रसव की तैयारी के संबंध में क्षेत्र के ए0 एन0 एम0 एवं संस्थान के प्रसव कक्ष की स्टॉफ नर्स का क्षमतावर्धन करने की आवश्यकता है।

(ii) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नावकोठी को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच एवं जटिल प्रसव की पहचान करने हेतु संबंधित कर्मियों का क्षमतावर्धन किये जाने की आवश्यकता है।

(iii) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मंसूरचक को गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच, क्षेत्र की ए0 एन0 एम0 एवं आशा को प्रसव पूर्व साथ ही प्रसव के बाद माता के हाइजीन पर और विसंक्रमण पर क्षमतावर्धन करने की आवश्यकता है।

(iv) प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, छौड़ाही को जटिल प्रसव की पहचान ससमय करते हुए प्रबंधन करने की आवश्यकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए समिति द्वारा मातृ मृत्यु में कमी लाने हेतु प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (PMSMA) के अवसर पर गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व जाँच एवं जटिल प्रसव की पहचान किये जाने हेतु सभी स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देशित किया गया।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

15/9/22 15/09/22

सिविल सर्जन सह–सदस्य–सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय।

जिला पदाधिकारी सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय।

13/9

ज्ञापांक 1188 दिनांक 16/09/2022

प्रतिलिपिः– सभी स्वास्थ्य प्रबंधक / सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बेगूसराय जिलान्तर्गत को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– केयर इंडिया को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी सदस्य DQAC को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– असैनिक शल्य चिकित्सक सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बेगूसराय को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, गुणवत्ता यकीन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः– राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, मातृ स्वास्थ्य, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः– उप सचिव सह–प्रभारी, गुणवत्ता यकीन, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ।
प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, बेगूसराय को सादर सूचनार्थ समर्पित।
प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय उपनिदेशक स्वास्थ्य सेवायें, मुंगेर प्रमण्डल मुंगेर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

15/9/22 15/9/22

सिविल सर्जन सह–सदस्य–सचिव
जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय।

जिला पदाधिकारी सह–अध्यक्ष
जिला स्वास्थ्य समिति, बेगूसराय।

13/9